



न्यायालय ब्रिंगाम राजस्व मण्डल ज्यालियर, श्रीम, मोपाल (मोपूर)

I/निगरानी/विदेशा/भ्रू.का/2018/1783

प्रकरण श्रमाक

१- बच्चुल रहमान बायु ५५ वर्ष बा० श्री काले साँ,

जाँत मुसलमान निवासी ग्राम पैखासा पास्ट

ईक्का तहसील नटेरन जिला विदिशा,

२- बच्चुल हर्मीद बायु २७ वर्ष,

३- बच्चुल हर्मीद बायु २६ वर्ष पुत्राण श्री

बच्चुल रहमान निवासी ग्राम पैखासा पास्ट

ईक्का तहसील नटेरन जिला विदिशा (मोपूर) --- निवासीगण विरुद्ध

१- रह्स साँ बायु ४५ वर्ष बा० श्री हर्मीम साँ,

२- सर्हीम साँ बायु ४० वर्ष बा० श्री हर्मीम साँ,

३- जुम्मी बी बायु ६५ वर्ष क्वा हर्मीम साँ

जीनाँ जाँत मेकाती (मुसलमान) तीनाँ

निवासीगण ग्राम पैखासा तहसील बासौदा जिला विदिशा,

मृत सखर साँ पुत्र काले साँ वारिसान

४- बयूब साँ बायु ४० वर्ष,

५- बाबिद साँ बायु ३८ वर्ष,

६- बठबास साँ बायु ३८ वर्ष,

७- हुमुरा बी बायु ६५ वर्ष क्वा सखर साँ

८- जाकिर साँ बायु ६५ वर्ष बा० सखर साँ,

९- सगीरन बी बायु ३४ वर्ष उड्ठा साँ

सभी जाँति मेकाती (मुसलमान) निवासी ग्राम

पैखासा तहसील बासौदा जिला विदिशा,

१०- शैक्त बायु ६० वर्ष

पुत्र काले साँ निवासी ग्राम मेहमूदा तहसील बासौदा,

११- साबिरसाँ बायु ६५ वर्ष बा० काले साँ

निवासी ग्राम पैखासा

१२- बच्चुल गफ्फार साँ बायु ५० वर्ष पुत्र काले साँ

निवासी ग्राम पैखासा,

१३- बच्चुल सत्खार बायु ४७ वर्ष बा० काले साँ

निवासी ग्राम मेहमूदा

अधिकारी द्वारा)

--- ३ ---

१४- हाजरा वी पुत्री काले साँ खें शरीफ साँ
 (ब) रठफा साँ बायु ३५ वर्षा,
 (ब) रहसि साँ (स) लमरान साँ, (द) अययुव साँ .

ब लगायत द पुक्राण शरीपा साँ

१५- शलिला बायु ४२ वर्षा पुत्री काले साँ पत्नी शहीद साँ
 जाति मेवाती मुख्लमान क्षिासी ग्राम नाविया

पाँस्ट सतपाढ़ाहाट तहसील शमसा बाद जिला विदिशा

१६- अकीजा बायु ४० वर्षा पुत्री काले साँ

पत्नी फरीद साँ क्षिासी ग्राम लखार पाँस्ट
 रेक्का तहसील नटरन जिला विदिशा,

१७- अख्तर वी बायु ५५ वर्षा पत्नी रुजाब साँ

१८- रहीसन वी बायु ५६ वर्षा पत्नी मूरा क्षिासी
 ग्राम लखार पाँस्ट रेक्का

१९- शमरुन उर्फ जायरा वी बायु ४८ वर्षा

पुत्री क्लीम साँ पत्नी रुजाब साँ क्षिासी ग्राम
 पब्ह तहसील बासौदा जिला विदिशा,

२०- बाक्का वी बायु ४५ वर्षा

क्षिासी ग्राम सतपाढ़ा पाँस्ट करारिया

तहसील व जिला विदिशा ----- प्रतिक्षिरानीक्तागण

म०प्र० मूराजस्व संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत क्षिरानी

महोदय,

क्षिरानीक्तागण धरा विद्वान बायुक्त महोदय भोपाल संभागभोपाल

(मध्य०) की प्रक्रिया क्रमांक ५१ अप्र० १४-१५ में पारित बादेश दिनांक

२-१-१८ की विठ्ठल वह क्षिरानी प्रस्तुत की जा रही है।

---००---

:: प्रकरण के तथ्य ::

संचाप्त में प्रकरण के तथ्य हस प्रकार है कि क्षिरानीक्तागण क्रमांक
 एक की माँ तथा क्षिरानीक्तागण क्रमांक २ व ३ की दादी ने लखरा क्रमांक

६१६ रक्का २-२५७ हेक्टर मूलि क्षिरानी क्तागण क्रमांक इके नाम हिवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1783

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५/०४/१८	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकों को आहुत किए जाने हेतु आवेदक अभिभाषक को एक से अधिक बार तलवाना प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया गया, परंतु उनके द्वारा तलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आधार पर अपील खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तलवाना प्रस्तुत नहीं किए जाने का कोई समाधानकारक कारण इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p>(3)</p>	 प्रशासकीय सदस्य